उत्तर प्रदेश शासन

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1

संख्या-28/2021/309/52-1-2021-30(पी0एम0जे0वी0के0)/20

लखनऊ : दिनांक 11 फरवरी, 2021

संशोधन-आदेश

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-07/2021/1655/बावन-1-2021-30(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 29.01.2021 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित सारणी के कालम-9 में अंकित केन्द्रांश की धनराशि रू0 84.561 लाख के स्थान पर रू0 84.651 लाख पढी जाये।

2- उक्त शासनादेश संख्या-07/2021/1655/बावन-1-2021-30(पी0एम0जे0वी0के0)/20 दिनांक 29.01.2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये, शेष निर्देश/शर्ते यथावत रहेंगी।

(शिवाकान्त द्विवेदी)
विशेष सचिव।

संख्या-309(1)/बावन-1-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- अवर सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को प्रश्नगत राजकीय बालिका इण्टर कालेज के निर्माण हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन करने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
8- निदेशक, **यू0पी0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत इण्टर कालेज के निर्माण हेतु समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
09- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, **शाहजहॉपुर**।
11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-4 को 01 प्रति।
12- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवाकान्त द्विवेदी)
विशेष सचिव।

UO Gautam sir

http://shasanadesh.up.gov.in